an>

Title: Need to compensate farmers by implementing the State Crops Insurance Scheme.

श्री गणेश सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित एक लम्बी चर्चा के बाद माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत प्रभावी जवाब दिया है। मेरा उसी से संबंधित विषय है। यह सही है कि प्राकृतिक आपदाओं ने देश के किसानों के सामने एक गंभीर संकट पैदा कर दिया है। किसान का खेती का धंधा घाटे का हो गया। एक तरफ लागत खर्च बढ़ रही है, उस अनुपात में उत्पादन का दाम नहीं मिल पा रहा है तो दूसरी तरफ रबी एंव खरीफ दोनों में सूखा, बाढ़, ओला, पाला, अतिवृष्टि से लगातार फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। अभी यहां मंत्री जी बता रहे थे कि इस सीजन में देशभर में 106 लाख हेक्टेयर फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिस बात को लेकर हम यहां पिछले दस सालों से लड़ रहे थे कि अतिवृष्टि को राष्ट्रीय आपदा माना जाए। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी पुरानी बोत को सरकार में आने के बाद मान लिया। उसमें दो-तीन संशोधन किए। एक तो फसलों का जो नुकसान होता था, उसमें केन्द्र सरकार की तरफ से बहुत थोड़ा पैसा मिलता था। अब उसमें नए प्रावधान आ गए। 33 प्रतिशत तक उन्होंने फसलों के नुकसान को जोड़ लिया और जो पैसा मिलता था, उसका डेढ़ गुना बढ़ा दिया। मैं मानता हूं कि यह राहत है। मेरा निवेदन है कि जब तक फसल बीमा योजना नहीं आएगी, सौ प्रतिशत फसलों के नुकसान का मुआवजा नहीं मिलेगा, किसान की खेती की इकाई उसका आधार नहीं बनेगा, तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। आज किसान के पास जितने भी मेहनत के साधन हैं, वह सब कुछ कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार नई फसल बीमा योजना बनाना चाहती है। उसके लिए अनुमति चाहिए और राज्य सरकार ने जो पैसा मांगा है, उसे तत्काल मिले।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri P P Chaudhary are permitted to associate with the issue raised by Shri Ganesh Singh.

Shri Anoop Mishra --- Not present.